

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....228/2024

(कंप्यूटर रजि०नं० 672/2024)

सरकार बनाम गोविन्द आदि

अंतर्गत धारा-498A, 304B वैकल्पिक 306 भा०द०सं०

एवं धारा-3/4 दहेजप्रति०अधि०

थाना-ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-680/2023

### आरोप

मैं, अनिल कुमार-X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण गोविन्द, सुन्दरलाल एवं अनीता को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

**प्रथम:** यह कि दिनांक 25/26-11-2023 की रात्रि में किसी समय स्थान सोम बाजार पूजा कालोनी अंतर्गत सीमा थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण जो क्रमशः (मृतका के पति, ससुर एवं सास हैं), ने वादी उदयभान की पुत्री मृतका बबीता के साथ विवाह के सात वर्ष के अंदर और मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की माँग के कारण उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा असामान्य परिस्थितियों में उसकी दहेज हत्या कारित की। तदनुसार आपके द्वारा किया गया कृत्य दहेज हत्या की परिधि में आता है जो भा० द० सं० की धारा-304 बी. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

### वैकल्पिक आरोप

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री बबीता को मृत्यु से पूर्व इस हद तक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर आत्म-हत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया, कि आप अभियुक्तगण के द्वारा की गयी प्रताड़ना से तंग आकर वादी की पुत्री द्वारा फाँसी लगाकर आत्म-हत्या कारित कर ली गयी। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-306 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीय:** यह कि वादी मुकदमा की पुत्री बबीता की शादी दिनांक 30 अप्रैल 2021 को आप अभियुक्त गोविन्द के साथ हुई थी। शादी के बाद से आप अभियुक्तगण द्वारा मृतका बबीता से समय-समय पर अतिरिक्त दहेज में दो लाख रु० व बुलट मोटरसाईकिल की माँग की गयी तथा उक्त माँग की पूर्ति हेतु उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-498 ए. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीय:** यह कि विवाह के पश्चात् विभिन्न समय पर व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री बबीता व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रु० व बुलट मोटरसाईकिल की माँग की गयी व उन्हें दहेज के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक:05-07-2024

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश,  
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक:05-07-2024

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश,  
गाजियाबाद